कार्यालय
पुलिस महानिदेशक
हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय
शिमला-171002

संख्या:PII(3)भर्ती / आरक्षी(1023 पु0-311म0)/427-2021- 18905 दिनांक: 20-9-2021

आरक्षी के पद के लिए भर्ती सूचना

संदर्भ (प्रतियां संलग्न)

i) हि0प्र0 सरकार पत्र संख्या होम (ए) बी (2)-2/2020 दिनांक 24-12-2020
ii) हि0प्र0 सरकार पत्र संख्या होम (ए) बी (2)-2/2020 दिनांक 04-09-2021
iii) हि0प्र0 सरकार अधिसूचना संख्या होम (ए) ए (3)-2/2020दिनांक 05-08-2021
iv) हि0प्र0 सरकार कार्मिक विभाग अधिसूचना पत्र संख्या होम (एपी-III) नं0 PER(एपी)-सी.एफ.(1)-1-2011 दिनांक 22-01-2018
v) हि0प्र0 सरकार कार्मिक विभाग अधिसूचना पत्र संख्या होम (एपी-III) नं0 PER (एपी)-सी.एफ.(1)-3-2001 दिनांक 22-01-2002
vi) हि0प्र0 सरकार अधिसूचना संख्या होम-ए.ए (3-4/2011) दिनांक 30-07-2013 एवं संशोधित अधिसूचना हि0प्र0 सरकार संख्या होम (ए) ए (3)-2/2020 दिनांक 05-08-2021

1. हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षियों के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित वेतनमानों में संदर्भ 1 और 2 के अनुसार आमंत्रित किए जाते हैं:–

(अ) रुपये 5910–20200 + ग्रेड पे रु. 1900/– (शुरुआती रु. 7810/–)

(ब) 08 साल की नियमित सेवा के बाद पे बैंड रु 10300–34800+रु.3200/–ग्रेड पे

न्यूनतम योग्यता स्तर:

2. इच्छुक उम्मीदवारोंको निर्धारित न्यूनतम योग्यता पात्रता नीचे दिए गए संदर्भ-III के अनुसार पूरी करनी आवश्यक है। उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। श्रेणीवार न्यूनतम योग्यता मानदंड निम्नानुसार है:–

क0 सं0	जाति	आयु (वर्ष में)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	न्यूनतम उंचाई (फुट और ईंच में)		न्यूनतम छाती(केवल पुरूष उम्मीदवार के लिए) (ईंचिज में)
				पुरूष	महिला	
1.	सामान्य	18 से 25	10+2	5'-6"	5'-2"	31"X32"
2.	एस.सी/एस.टी.	18 से 27	10+2	5'-4"	5'-0"	29"X30"
3.	ओ.बी.सी	18 से 27	10+2	5'-6"	5'-2"	31"X32"
4.	गोरखा	18 से 27	10+2	5'-4"	5'-0"	29"X30"
5.	गृह रक्षक (सामान्य/ ओ.बी.सी.)	20 से 28	10+2	5'-6"	5'-2"	31"X32"
6.	गृह रक्षक (एस.	20 से 28	10+2	5'-4"	5'-0"	29"X30"

	सी./एस.टी./ ओ. बी.सी.)					
7.	गृह रक्षक (गोरखा)	20 से 28	10+2	5'-4"	5'-0"	29"X30"
8.	असाधारण खिलाड़ी(सामान्य/ ओ.बी.सी.)	18 से 27	10+2	5'-6"	5'-2"	31"X32"
9.	असाधारण खिलाड़ी(एस.सी. /एस.टी.)	18 से 27	10+2	5'-4"	5'-0"	29"X30"
10	असाधारण खिलाड़ी गोरखा	18 से 27	10+2	5'-4"	5'-0"	29"X30"

टिप्पणी:

- भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लिए आरक्षित आरक्षी के पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता संदर्भ–III की अधिसूचनानुसार अनुसार मैट्रिक होगी।
- चूंकि भर्ती की पात्रता के लिए ऊपर वर्णित मानक आवश्यक हैं। उपरोक्त वर्णित शारीरिक मानकों को पूरा नहीं करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

पात्रता के लिए अन्तिम (कटऑफ) तिथिः –

3. पात्रता के लिए अन्तिम (कटऑफ) तिथि का निर्धारण निम्नलिखित होगाः–

(i) ऊपरी और निचली आयु की गणना के लिए कटऑफ तिथि 31–10–2021 (सभी श्रेणियों के लिए) है।

(ii) उम्मीदवार के पास पूर्ण न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तिथि 31–10–2021 तक पूरी होनी चाहिए।

(iii) सभी संबंधित प्रमाण पत्र, जो उम्मीदवार प्रस्तुत करते है, जिसमें अन्य प्रमाणपत्रों के साथ–साथ हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र शामिल, आरक्षित श्रेणी के प्रमाण पत्र तथा भारी परिवहन ड्राइविंग लाइसेंस (केवल पुरुष कांस्टेबल चालक के पद के लिए) आदि 31–10–2021 को मान्य होने चाहिए।

(iv) केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते है जो दिनांक 31–10–2021 तक हिमाचली बोनाफाइड में शामिल हैं।

ऑनलाईन आवेदनपत्र जमा करना (ORA)

4. इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप में 01अक्टूबर, 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 तक (लाहौल–स्पीति और किन्नौर के जनजातीय जिलों सहित) आवेदन जमा करेंगे । ऑनलाईन आवेदन करने के लिए लिंक/यूआरएल निम्न है:–

www.recruitment.hppolice.gov.in

यह लिंक/यूआरएल 01 अक्टूबर को 0800 बजे से 31 अक्टूबर 2021 को 0800 बजे तक सकिय रहेगा।

(अ) उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में जो भी श्रेणी एवं अन्य विवरण भरा जाएगा वह अन्तिम माना जायेगा और उसमें आगामी भर्ती प्रकिया के दौरान न तो बदलाव किया जा सकेगा और ना ही उस पर पुर्नविचार किया जाएगा।

(ब) अपूर्ण और बिना प्रस्तावित परीक्षा फीस, स्कैन गिए गए फोटोग्राफ और निर्धारित आकार के स्कैन किए गए हस्ताक्षर के बिना आवेदन पत्र को सीधे तौर पर रद्द कर दिया जाएगा ।

(स) ORA (Online Recruitment Application) पर केवल उस जिले की रिक्तियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिसमें आवेदक मूल हिमाचली प्रमाण पत्र के अनुसार निवासी हैं । इसके अतिरिक्त एक उम्मीदवार को केवल उस जिले, से माना जाएगा जो उसके मूल हिमाचली प्रमाण पत्र में उसके निवास के रूप में दिखाया गया है ।

(ड) ORA के साथ कोई भी प्रमाणपत्र अथवा प्रमाणपत्रों की प्रतियां संलग्न नहीं की जाएँगी । इसकी जगह आवेदनकर्ता वचनबद्वता देगा कि उसके द्वारा ORA में दी गई जानकारी सत्य और प्रमाणिक है । मूल प्रमाणपत्रों का वास्तविक सत्यापन केवल उन उम्मीदवारों के संबंध में किया जाएगा जिन्हें जांच व मुल्यांकन के लिए बुलाया जाएगा, जैसा कि चरण 6 में भर्ती प्रकिया में नीचे उल्लेख किया गया है और कोई भी आवेदक जो गलत और झूठी जानकारी देता है वह स्वतः सीधे तौर पर अयोग्य होगा ।

<u>शुल्क जमा करना</u>

5. उम्मीदवारों से निम्नलिखित शुल्क लिया जाएगा। (इसमें रुपये 100/– "कोविड–19" प्रोटोकॉल कार्यान्वयन शुल्क भी शामिल है)

(अ) प्रसंस्करण शुल्क 200+100=300/– (तीन सौ रू0) केवल निम्नलिखित श्रेणियों से लिए जायेंगे:–

(i) सामान्य श्रेणी

(ii) गोरखा

(iii) होमगार्ड (सामान्य/गोरखा)

(iv) विशिष्ट खिलाड़ी (सामान्य/गोरखा)

(ब) निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित प्रत्येक उम्मीदवार से केवल 50+100=150 (एक सौ पचास रू0) का प्रसंस्करण शुल्क लिया जाएगा:–

(i) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / बीपीएल से संबंधित उम्मीदवार।

(ii) होमगार्ड (ओबीसी/एससी/एसटी)।

(iii) प्रतिष्ठित खिलाड़ी (ओबीसी/एससी/एसटी)।

6. <u>शुल्क अदायगी का तरीका (भुगतान तंत्र)</u>

उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवश्यक आवेदन शुल्क जमा करने के विकल्प हैं। हिमाचल पुलिस विभाग ने आवेदन शुल्क के भुगतान की सुविधा के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ सहयोग किया है।

(अ) ऑनलाइन मोड – यह हि0पु0 विभाग की वेबसाइट में भर्ती यूआरएल से जुड़े ई–पे गेटवे (GATEWAY) के माध्यम से किया जा सकता है।

(ब) ऑफलाइन मोड मे एसबीआई की किसी भी शाखा में नकद शुल्क राशि जमा की जा सकती है। उम्मीदवार उस चालान की एक प्रति अपने पास रखेंगे जिसके माध्यम से उन्होंने एसबीआई शाखा में भौतिक भुगतान किया है।

भुगतान तंत्र का विवरण अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

रिक्त पदः

7. उपरोक्त संदर्भ के अनुसार रिक्तियों की कुल संख्या इस प्रकार हैः

(अ) जनरल ड्यूटी कांस्टेबल

रिक्तियों की कुल संख्या	पुरूष	महिला
1243	932	311

(ब) आरक्षी चालक, पुरूष = 91

(स) कुल (अ+ब) = 1334

8. भरे जाने वाले पदों का जिलावार विवरण निम्नलिखित है :–

क0सं0	जिला का नाम	सामान्य वर्ग आरक्षी		आरक्षी चालक	जोड़
		पुरूष (a)	महिला (b)	पुरूष (c)	(a)+(b)+(c)
1.	बिलासपुर	52	17	05	74
2.	चम्बा	71	24	07	102
3.	हमीरपुर	62	21	06	89
4.	कांगड़ा	205	68	20	293
5.	किन्नौर	11	04	01	16
6.	कुल्लू	60	20	06	86
7.	लाहौल और स्पीति	04	01	0	05
8.	मण्डी	136	45	13	194
9.	शिमला	110	37	11	158
10.	सिरमौर	72	24	07	103
11.	सोलन	78	26	08	112
12.	उना	71	24	07	102
Total		**932**	**311**	**91**	**1334**

आगे जिलावार और श्रेणीवार रिक्तियों के आरक्षण रोस्टर हिमाचल सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार अधिसूचित किये जाऐंगे।

भर्ती प्रक्रियाः

9. यह भर्ती एक 6 चरण की प्रक्रिया है। हिमाचल प्रदेश में यह भर्ती सभी जिला मुख्यालयों पर जिला भर्ती समिति {यहां के बाद में जि0भ0स0 (DRC) के रूप में सदर्भित} द्वारा आयोजित की जायेगी। भर्ती की तिथियां अलग से अधिसूचित की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया इस प्रकार होगीः

(अ) चरण – 1: ऑनलाइन फॉर्म जमा करना और शुल्क जमा करना।

(ब) चरण – 2: संबंधित डीआरसी द्वारा भर्ती कार्यक्रम और स्थान की सूचना का प्रेषण।

(स) चरण – 3: शारीरिक मानकों के लिए स्क्रीनिंग।

जिला भर्ती समिति उल्लेखित शारीरिक मानकों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करेगी। आवेदकों को न्यूनतम शारीरिक मानकों की पात्रता को पूरा करना आवश्यक है। यह जांच प्रत्येक जिला मुख्यालय पर उन सभी उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी जिन्होंने सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन पत्र और निर्धारित शुल्क सफलतापूर्वक जमा कर दिया है। प्रत्येक जिले के लिए शारीरिक मानकों की स्क्रीनिंग की तिथियां अलग से अधिसूचित की जाएंगी।

श्रेणीवार न्यूनतम योग्यता मानदंड जैसा कि संदर्भ –III में निर्धारित किया गया है और पहले पैरा – 2 में कहा गया है, निम्नानुसार दोहराया जाता हैः–

क0 सं0	श्रेणी	न्युनतम उंचाई (फुट एवं ईंच में)		न्युनतम उंचाई(केवल पुरूष उम्मीदवार) (ईंचिज में)
		पुरूष	महिला	
1.	सामान्य	5'-6"	5'-2"	31"X32"
2.	एस.सी/एसटी	5'-4"	5'-0"	29"X30"
3.	ओबीसी	5'-6"	5'-2"	31"X32"
4.	गेरखा	5'-4"	5'-0"	29"X30"
5.	गृह रक्षक (सामान्य/ ओ.बी.सी.)	5'-6"	5'-2"	31"X32"
6.	गृह रक्षक (एससी/ एसटी.)	5'-4"	5'-0"	29"X30"
7.	गृह रक्षक (गोरख)	5'-4"	5'-0"	29"X30"
8.	विशिष्ट खिलाड़(सामान्य/ओबीसी)	5'-6"	5'-2"	31"X32"
9.	विशिष्ट खिलाड़(एससी/एसटी)	5'-4"	5'-0"	29"X30"
10	विशिष्ट खिलाड़(गोरखा)	5'-4"	5'-0"	29"X30"

केवल उन्हीं उम्मीदवारों को भर्ती के अगले चरण के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी जो ऊपर उल्लेखित न्यूनतम शारीरिक मानकों को पूरा करेंगे।

(घ) ऊंचाई के लिए अंक (अधिकतम 5 अंक): संदर्भ –3 में निर्धारित, उम्मीदवारों को न्यूनतम योग्यता मानदंड से अधिक ऊंचाई रखने के लिए नीचे दी गई तालिका में संकेत के अनुसार (अधिकतम 5 अंक) दिए जाएंगे। मौजूदा भर्ती प्रक्रिया के अनुसार इन अंकों की गणना उम्मीदवारों की अंतिम योग्यता में की जाएगी:–

कम सं0	पुरूष अभयर्थियों के लिए लम्बाई (फुट व ईंच में)	महिला अभयर्थियों के लिए लम्बाई (फुट व ईंच में)	अंक
1.	5'-7"से कम	5'-2" से कम	0 अंक
2.	5'-7" किन्तु 5'-8" से कम	5'-2" किन्तु 5'-3" से कम	1 अंक
3.	5'-8" "किन्तु 5'-9" से कम	5'-3" किन्तु 5'-4" से कम	2 अंक
4	5'-9" किन्तु 5'-10" से कम	5'-4" किन्तु 5'-5" से कम	3 अंक
5	5'-10" किन्तु 5'-11" से कम	5'-5" किन्तु 5'-6" से कम	4 अंक
6.	5'-11" से अधिक	5'-6" से अधिक	5 अंक

(ड) चरण–4 शारीरिक दक्षता परीक्षा, (पीईटी) जो क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा।

चरण –3 उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) से गुजरना होगा। यह परीक्षा सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी।प्रत्येक जिले के लिए डीआरसी द्वारा (पीईटी) की तारीखें तय की जाएंगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) की तारीखें डीआरसी द्वारा इस तरह से तय की जाएंगी कि किसी दिए गए दिन में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या प्रवंध की दृष्टि से अनुकुल हो, विशेष रूप से **COVID–19** प्रोटोकॉल प्रबंधन के अनुसार।

क0सं0	स्पर्धा	पुरूष उम्मीदवार के लिए न्युनतम योग्यता मानक	महिला उम्मीदवार के लिए न्युनतम योग्यता मानक
1.	1500 मी0 दौड़ पुरूषों के लिए (800 मी0 दौड़ महिलाओं के लिए	6 मीनट 30 सैकेण्ड (अतिरिक्त समय की अनुमति नहीं)	4 मीनट 15 सैकेण्ड (अतिरिक्त समय की अनुमति नहीं)
2.	ऊची कूद	1.25 मीटर (अधिकतम 3 प्रयासों की अनुमति)	न्यूनतम 1 मीटर (अधिकतम 3 प्रयासों की अनुमति)
3.	लम्बी कूद	4 मीटर	3 मीटर

शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कार्यकम और योग्यता मानदंड निम्न प्रकार से है:–

टिप्पणी

(i) पीईटी केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। पीईटी में उनके प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को कोई अंक नहीं दिये जायेंगे।

(ii) पीईटी की तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) उम्मीदवार जो किसी भी प्रतिस्पर्धा/पैरामीटर में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहता है, उसे तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और अन्य आयोजनों में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।

(iv) भर्ती के दौरान पीईटी की शुरुआत में मादक पदार्थों का पता लगाने के लिए डोप परीक्षण किया जाएगा।

(v) बाह्य शरीरिक दक्षता परीक्षण मे पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विडियोग्राफी की जाएगी ।

(vi) उम्मदीवारों के नाम मूल सूची (Basic List) और शारीरिक मानक परीक्षण में प्राप्त अंको सहित एक मूल सूची मे आनलाईन प्रकाशित किए जायेंगे और संवंधित जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किये जायेंगे और योग्य उम्मीदवारों को तिथि समय और स्थान पर नियुक्ति चरण –5 के लिए रिर्पोट करने का निर्देश दिया जाएगा।

(च) चरण –5: लिखित परीक्षा (80 अंक)

उन सभी उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा, जिन्होंने चरण –4 में अर्हता प्राप्त की है, संबंधित जिलों में आयोजित की जाएगी, अधिमानतः सभी जिलों के लिए उसी दिन लिखित परीक्षा 80 अंकों की होगी। परीक्षा की अवधि 60 मिनट होगी। इसमें निम्नलिखित विषयों से ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न होंगे: –

क0 सं0	विषय	प्रश्नों की संख्याा	पाठयकम
1.	अंग्रेजी भाषा	16 प्रश्न	10+2 मानक
2.	हिंदी भाषा	16 प्रश्न	10+2 मानक
3.	सामान्य जागरूकता	16 प्रश्न	10+2 मानक
4.	गणित और विज्ञान	16 प्रश्न	गणित 10वीं व विज्ञान 10+2 मानक
5.	तर्क कौशल (अभिक्षमता)	16प्रश्न	10+2 मानक

न्यूनतम योग्यता अंकः–

(अ) एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए = 40%

(ब) अन्य सभी श्रेणियों के लिए = 50%

लिखित परीक्षा (अधिकतम 80 अंकों में से) में उपस्थित सभी उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को प्रदर्शित करते हुए परिणाम हि0 प्र0 की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और संबंधित जिला एस पी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

(छ) चरण – 6 दस्तावेजों की जांच और प्रमाण पत्र के लिए अंक प्रदान करना (15 अंक):

चरण 6 निम्न वर्णित दो भागों में होगा:

(अ) आरक्षी के पद के लिए पात्रता से संबंधित सभी दस्तावेजों की जांच। उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने वाले दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का भार आवेदक पर होगा। किसी भी प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति होने पर, जिसके आधार पर उम्मीदवार को विशेष वर्ग / श्रेणी के रूप में माना जाता है, उम्मीदवार को इस तरह के विचार के लिए अपात्र माना जाएगा।

(ब) उम्मीदवारों द्वारा अर्जित विशेष प्रमाणपत्रों के आधार पर 15 अंकों का मूल्यांकन, संदर्भ –3 में वर्णित निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

क0 सं0	मानदंड	अधिकतम अंक
(i)	नियम 8 के उप–नियम (1) व (2) के प्रावधान के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए महत्व (वेटेज) हेतु शैक्षिक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को 0.025 से गुणा किया जाएगा। उदाहरण के लिए, (अ) यदि उम्मीदवार ने आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, तो उसे 1.25 अंक (50 × 0.025= 1.25) की अनुमति दी जाएगी। (ब) यदि उम्मीदवार ने आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, तो उसे 1.50 अंक (60 ×0.025 = 1.50) की अनुमति दी जाएगी। (स) और इसी तरह।	2.5 (ढाई अंक)
(ii)	अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से संबंधित, जैसा भी मामला हो। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा है।	1(एक अंक)
(iii)	भूमिहीन परिवार जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। संबंधित राजस्व प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जायेगा ।	1(एक अंक)
(iv)	एनएसएस (कम से कम एक वर्ष) = 1 अंक प्रति वर्ष पूरा (अधिकतम 4 तक)। एनसीसी प्रमाणपत्रों को महत्व दिया जाएगा: (अ) एनसीसी (सी) प्रमाण पत्र = 4 (ब) एनसीसी (बी) प्रमाणपत्र = 2 (स) एनसीसी (ए) प्रमाण पत्र = 1 एक उम्मीदवार, जिसके पास ये सभी प्रमाण पत्र होंगे, उन्हें केवल एनसीसी (सी) प्रमाण पत्र के लिए अंक दिए जाएंगे। भारत स्काउट और गाइड = 1 (न्यूनतम पात्रता एक वर्ष है)	4 (चार अंक)
(v)	एल0एम0वी0 ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले उम्मीदवार	1.5 (डेढ़ अंक)
(vi)	कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचित खेल में निम्नलिखित प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवार को निम्नानुसार अंक प्रदान किए जाएंगे अ) अंतर्राष्ट्रीय स्तर – 4 अंक ब) राष्ट्रीय स्तर – 3 अंक स) राज्य स्तर – 2 अंक सन्दर्भ–6 में उल्लिखित खेल की श्रेणी समय–2 पर यथा	4 (चार अंक)

	संशोधित होगी	
(vii)	संदर्भ–7 में उल्लिखित अंतर्राष्ट्रीय, ओलंपिक व राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता के पदक विजेता	1 (एक अंक)
	कुल अंक	15(पन्द्रह अंक)

अंतिम योग्यताः–

उपरोक्त चरणों के बाद, उम्मीदवारों की अंतिम योग्यता सूची अधिकतम 100 अंकों में से निम्नानुसार तैयार की जाएगीः

कम0सं0	भर्ती के चरण	अधिकतम अंक
(i)	उचांई	5
(ii)	लिखित परीक्षा	80
(iii)	प्रमाणपत्रों की जांच पर मूल्यांकन	15
	कुल अंक	**100** अंक

तीन चरण मे से प्रत्येक में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाला अंतिम परिणाम 100 अंकों में से (i)+(ii)+(iii) और संबंधित आरक्षित श्रेणियों को स्थिति सहित उन सभी उम्मीदवारों के सम्बंध मे आनलाईन प्रदर्शित किया जाएगा जो दस्तावेजों के जांच और मूल्यांकन के लिए उपस्थित हुए थे । चरण 6 पूर्ण होने के वाद फौरन जिला कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी इसे प्रदर्शित किया जाएगा।

(ज) चरण –7 चिकित्सा परीक्षाः

चयनित उम्मीदवारों को संदर्भ के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा एक चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा । मेडिकल बोर्ड के लिए नियम और विनिर्देश संदर्भ (iii) एवं (vi)के अनुसार परिभाषित किए जाएंगे – .
इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया जाता है किः

चिकित्सा जांच के समय गर्भवती पाई गई महिला उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाएगा और प्रसव के बाद बयालीस दिनों की प्रसवोत्तर अवधि के बाद चिकित्सा परीक्षा के लिए उन को फिर से उपस्थित होना होगा।

(i) चिकित्सकीय रूप से अयोग्य उम्मीदवारों को उनकी उम्मीदवारी की अस्वीकृति के बारे में सूचित किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षा का परिणाम संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(ii) चिकित्सा परीक्षण के परिणाम प्रदर्शित होने के 7 दिनों के भीतर संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष चिकित्सा रिपोर्ट के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है। संबंधित पुलिस अधीक्षक संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक समीक्षा चिकित्सा बोर्ड का गठन करवायेंगे। यह बोर्ड 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(iii) अंतिम रूप से चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों के स्थान पर प्रतीक्षा सूची से उपयुक्त उम्मीदवारों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(झ) चरण –8 चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन ।

(i) अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्व आचरण का सत्यापन संबंधित जिला पुलिस के माध्यम से किया जाएगा, लेकिन इस तरह के सत्यापन के लंबित होने की स्थिति में नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया को रोका नहीं जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी उम्मीदवार से भरा हुआ और विधिवत हस्ताक्षरित सत्यापन फॉर्म और स्व–घोषणा प्राप्त करने के बाद अंतिम नियुक्ति पत्र जारी करेगा । यदि किसी उम्मीदवार को अदालत में दोषी पाया जाता है, तो आवेदक/उम्मीदवार को अपराध की प्रकृति और सजा की अवधि कैसी भी हो उस को नियुक्ति नहीं दी जाएगी।

(ii) एक उम्मीदवार के मामले में जिसके खिलाफः

परिदृश्य –1: एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच प्रक्रियाधीन है।

या

परिदृश्य–2: एक आपराधिक मामले में मुकदमा चल रहा है और आरोप तय किए गए हैं

नियुक्ति का प्रस्ताव तब तक स्थगित रखा जा सकता है जब तकः

- आरोप पत्र से उम्मीदवार/आवेदक का नाम चार्जशीट में समाप्त नहीं हो जाता है –1

या

- जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उम्मीदवार को अदालत द्वारा सम्मानपूर्वक बरी कर दिया जाता है – 2 परिदृश्य में।

किसी भी उम्मीदवार को मात्र इस प्रकार के कारण से हुए विलम्ब के कारण अधिक उम्र का नहीं माना जाएगा।

(iii) उपरोक्त बिंदु (i) और (ii) में उल्लिखित किसी भी मामले के कारण रिक्त हुए पद को प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा। यदि उम्मीदवार को आरोप पत्र से बरी कर दिया जाता है / ऊपर वर्णित कानून की अदालत में सम्मानपूर्वक बरी कर दिया जाता है, तो रिक्ति होने पर बाद में नियुक्ति की पेशकश की जाएगी।

<u>उम्मीदवारों के लिए परामर्श :–</u>

10 सभी उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि भर्ती की प्रक्रिया के दौरान उचित साधनों का प्रयोग करें। यदि कोई उम्मीदवार बेईमानी में लिप्त पाया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ प्रतिरूपण/फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करना/पुलिस विभाग को झूठी सूचना देना आदि शामिल हैं तो उसे न केवल भर्ती प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, बल्कि उसके खिलाफ आपराधिक कारवाई भी की जाएगी ।

<u>अनुवर्ती निर्देश</u>

11. निम्नलिखित को नियत समय में अधिसूचित किया जाएगाः

- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में आवश्यक निर्देश अलग से तैयार किया जायेंगे।
- शुल्क जमा करने के संबंध में आवश्यक निर्देश अलग से तैयार किए जाएंगे।
- हिमाचल प्रदेश शासन के प्रचलित र्निदेशो के अनुसार जिलावार और श्रेणीवार रिक्तियों का आबंटन अलग से अधिसूचित किए जायेंगे।

- उम्मीदवार को स्व–घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि फॉर्म जमा करने के समय उसके द्वारा दी गई जानकारी सही है। उम्मीदवार को पूर्व चरित्र के संबंध में स्व–घोषणा भी प्रस्तुत करनी होगी।

(अ) कि फार्म जमा करने के समय उसके द्वारा दी गई जानकारी सही है ।

(ब) कि उसका पूर्व चरित्र अच्छा है और वह किसी अपराधिक जांच या मुकदमे का सामना नहीं कर रहा है और उसे भारत में किसी भी अदालत ने दोषी नहीं ठहराया गया है ।

संजय कुंडू

पुलिस महानिदेशक
हिमाचल प्रदेश शिमला–2